

**महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा
आदेश**

श्री देवीदत्त, आशुलिपिक, मुख्यालय, विकास एवं पंचायत अधिकारी, चण्डीगढ़, हरियाणा का दिनांक 27.09.2021 से 11.10.2021 तक का 15 दिन का पितृत्व अवकाश हरियाणा सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम 2016 के उप-नियम 47 के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है।

चण्डीगढ़ दिनांक
18.10.2021

रमेश चंद्र बिढाण, आई0ए0एस0
महानिदेशक विकास एवं पंचायत अधिकारी,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ0 क्रमांक ए4-2021/140813-16

दिनांक 14/12/21

इसकी प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक-कम-डी0डी0ओ0, मुख्यालय।
2. बिल सहायक, मुख्यालय।
- ✓ 3. आई.टी.सेल, मुख्यालय।
4. श्री देवीदत्त, आशुलिपिक, मुख्यालय।

रमेश चंद्र बिढाण
उप-निदेशक (प्रशा0-1) 14/12/21
कृते: महानिदेशक महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

14/12/22

SA/II

SA/II

14/12/22

hoj